

आदेश

वन अनुसंधान संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों के प्रमुखों से निवेदन है कि कृपया अपने अधीन कार्यरत भण्डारपाल एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को निर्देशित करें कि पूर्व में निम्नलिखित जिन वस्तुओं की स्थायी रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती थी वह अब अस्थायी जी.एफ.आर.41 के रजिस्टर में प्रविष्टि की जायें।

अस्थायी वस्तुओं में परिवर्तित वस्तुओं की सूची

	टिप्पणी
<p><u>1.प्लास्टिक का सामान:-</u></p> <p>बाल्टियों, मग, टब, जग, डस्टबीन, पटरी, रिकार्ड प्लेयर, चाकू, छलनी, पर्दों को छले, पर्दों की राड, ब्लाईडस (लिंगेन्सी), हेल्मेट, ट्रे, कुर्सी, स्टूल, टेबल, प्लास्टिक के कंस्टे, दिवार घड़ी। इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को भी न्यूनतम राशी रु.1000/- की खरीद तक को अस्थायी वस्तुओं में रखा जा सकता है। परन्तु पुनः खरीद की अवधि टिप्पणी में दर्शाई गई अवधि के अनुसार ही रहेगी।</p>	<p>पुनः नई खरीद हेतू न्यूनतम दो वर्षों की अवधि आवश्यक है। असाधारण परिस्थितियों में तर्क के साथ पुनः खरीदी जा सकती है।</p>
<p><u>2.बिजली का सामान:-</u></p> <p>टार्च, केतली, सभी प्रकार की बैटरी एवं बैटरी चार्जर। इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को भी न्यूनतम राशी रु.1000/- की खरीद तक को अस्थायी वस्तुओं में रखा जा सकता है। परन्तु पुनः खरीद की अवधि टिप्पणी में दर्शाई गई अवधि के अनुसार ही रहेगी।</p>	<p>पुनः नई खरीद हेतू न्यूनतम दो वर्षों की अवधि आवश्यक है। असाधारण परिस्थितियों में तर्क के साथ पुनः खरीदी जा सकती है।</p>
<p><u>3.कपड़े का सामान:-</u></p> <p>(अ) टेबल कवर, बैडशीट, बेडशीट कवर, परदे, तकिये, तकिये के कवर, मेजपोश, कुर्सियों के कवर, कारपेट, रजाई के कवर, कंबल के कवर। इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को भी न्यूनतम राशी रु.1000/- की खरीद तक को अस्थायी वस्तुओं में रखा जा सकता है। परन्तु पुनः खरीद की अवधि टिप्पणी में दर्शाई गई अवधि के अनुसार ही रहेगी।</p>	<p>पुनः नई खरीद हेतू न्यूनतम पाँच वर्षों की अवधि आवश्यक है। असाधारण परिस्थितियों में तर्क के साथ पुनः खरीदी जा सकती है।</p>
<p>(ब) कंबल, रजाई, गद्दे।</p>	<p>पुनः नई खरीद हेतू न्यूनतम दस वर्षों की अवधि आवश्यक है। असाधारण परिस्थितियों में तर्क के साथ पुनः खरीदी जा सकती है।</p>
<p><u>4.सामान्य सामान:-</u></p> <p>केलकुलेटर, ताले, मेज का शिशा, घास काटने की तलवार, छाता, कंगी/फावरी सफाई वाली, खेती के औजार- (फावडा, खुरपी, बेलचा, कुदाल, कुटला, गैती, फुआरा, बाल्टी।) तरल मापक, शीशा, फोटो फ्रेम, कैम्फर, थर्मस, सफेद बोर्ड, डोर क्लोजर, तौलिए का स्टैंड, लैपशेड पैचकस, प्लास, सडासी, पाईप, रिच, सब्बल, तसला, छेनी, चौरसी, हथोड़ी, कन्नी, बसौला, इंचीटैप, तौलिए, कॉनफैस बैग, ट्रेनिंग बैग, सभी प्रकार की आरी ब्लेड, रेती, कैंची, स्टेशनरी का सभी सामान, डोरमैट, टेलीफोन मैट, थर्मामीटर, नेमप्लेट, ग्लास कटर। इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को भी न्यूनतम राशी रु.1000/- की खरीद तक को अस्थायी वस्तुओं में रखा जा सकता है। परन्तु पुनः खरीद की अवधि टिप्पणी में दर्शाई गई अवधि के अनुसार ही रहेगी।</p>	<p>आवश्यकतानुसार खरीदा जा सकता है।</p>

उपरोक्त आदेश निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून की संस्तुती के पश्चात जारी किये जा रहे हैं।

नीलिमा
कुलसचिव, 13/12/17

वन अनुसंधान संस्थान
देहरादून।